International Journal of Social Science Research (IJSSR)
Volume- 2, Issue- 2 | March - April 2025 ISSN: 3048-9490

भारत में जलवायु न्याय: मुददे एवं चुनौतियाँ

नवीन कुमार
पी.एच.डी., शोधार्थी
गाँधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविधालय, मोतिहारी, बिहार

सारांश

वर्तमान विश्व के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां है, उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का विकास प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष पर असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के असमान वितरण को कम करने और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा इसके विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की स्थिति 'क्लाइमेट जस्टिस' कहलाती है। जलवायु न्याय, समाज के गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में है, जो अक्सर जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 2015 में 190 से ज्यादा देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का पेरिस समझौता किया था। भारत में भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती और तीन अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने लायक वन क्षेत्र बढ़ाने का वादा किया था। 2030 तक भारत अपने 40% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करना चाहता है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत सही रास्ते पर है। भारत दृढ़ता से विश्वास करता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या है जिसे केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा बहुपक्षीय आधार पर ही हल किया जा सकता है। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत आलेख भारत में जलवायु न्याय से संबंधित मुददे एवं चुनौतियों के अध्ययन का एक प्रयास है।

मुख्य बिंन्दुः- जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, प्राकृतिक संसाधन, कार्बन उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा।

भूमिका

पर्यावरणीय ह्रास आज पृथ्वी के मानव सहित जीवों और वनस्पतियो के लिए खतरा बन गया है। इतना ही नहीं हमारी अगली पीढ़ी उन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो जाएगी जिसका हम उपभोग करते रहे हैं। भूमंडल का बढ़ता तापमान, दिनोंदिन सघन होता हुआ प्रदूषण तथा प्रकृति का चरण पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने के प्रमाण है। पर्यावरणीय असंतुलन के फलस्वरूप जलवायु में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इसका कुप्रभाव न केवल कृषि पर अपितु जल संपदा,भूमिगत जलस्तर में गिरावट तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंम्बारता में वृद्धि के रूप में स्पष्ट दिख रहा है। इन सभी कुप्रभावों के लिए मानव की पर्यावरण-विरोधी गतिविधिया जिम्मेवार है। यह सत्य है कि प्राकृतिक कारणों से हुए पर्यावरण ह्रास की भरपाई प्रकृति स्वयं कर लेती है परन्तु मानवीय गतिविधियों के कारण हुए असीमित ह्रास की भरपाई प्रकृति नहीं कर पाती। इन मानवीय गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नियमित राज्य की जिम्मेवारी है। पर्यावरण संरक्षण हेतु बनी नीतियों की अपर्याप्तता, अप्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लोगों की पर्यावरण विरोधी प्रवृत्तियों के कारण हमारा पर्यावरण दिनोंदिन खराब होता जा रहा है। आज लोगों में केवल जागरूकता की ही आवश्यकता नहीं बल्कि नागरिक समाज को अपने स्तर पर सचेत, तथा अगली पीढ़ी के लिए संवेदनशील होना होगा।

प्रश्न उठता है कि जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन का स्वरूप क्या है तथा भारत पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है? तेजी से हो रही ह्रास और जलवायु परिवर्तन के पीछे कौन जिम्मेवार है?

आज हम देख रहे हैं मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सहित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान का संकट छा गया है। आशंका प्रकट की जा रही है कि इन गैसों के अंधाधुंध उत्सर्जन से वायुमंडल के 1000 भाग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सात भाग हो जाएगी, जो फिलहाल तीन भाग के करीब है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि पृथ्वी का तापमान 21 वीं सदी के अंत तक 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगा तथा 2025 तक समुद्री जलस्तर में 200 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो जाएगी। संभव है कि बांग्लादेश और माल्दीव जैसे अनेक राष्ट्रों का अस्तित्व ही मिट जाए। प्रारंभ में औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों द्वारा इन प्राकृतिक संपदाओं का अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसका दुष्प्रभाव विकासशील राज्यों पर अधिक पडने लगा क्योंकि ये आर्थिक विपन्नता और जनसंख्या की भार से ग्रसित है। इसी कारण से खासकर क्योटो प्रोटोकोल 1997 से एक सामान्य मान्यता विकसित हुई कि प्राकृतिक संपदा विश्व की साझी विरासत मानी जाए और पर्यावरण ह्रास से निपटने के लिए संपन्न देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दे।

जलवायु न्याय की अवधारणा

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (united nations framework convention on climate change) UNFCCC 2016 के अंतर्गत हुआ। पेरिस समझौता ऐसा पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें **जलवायु न्याय शब्द** को शामिल किया गया है।[1]

सन् 1992 में ही UNFCCC ने यह समझ लिया था कि उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए जो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं करते परंतु सबसे ज्यादा जोखिम में पेड़ पौधे रहते हैं। हालांकि उस समय जलवायु न्याय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था परन्तु UNFCCC का दस्तावेज जलवायु न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित था। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ संघर्ष का आधार ही जलवायु न्याय के क्षेत्र में प्रगति है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु न्याय आंदोलन को जबरदस्त गति मिली है। जलवायु न्याय की अवधारणा विश्व के सभी देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार प्रदान करती है। इस अवधारणा के अनुसार जलवायु संकट का सामना करने हेतु विकसित देशों द्वारा अधिक जिम्मेदारियों का वहन करने के साथ ही विकासशील देशों को वित्त प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की सहायता प्रदान करके जलवायु ऋण को चुकाने की आवश्यकता है।[2]

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता

भारत में पर्यावरणीय राजनीति एवं प्रशासन की समीक्षा के पूर्व यह आवश्यक है की पर्यावरण के क्षरण के स्वरूप का आकलन किया जाए। **एंड्रू मार्शल** के अनुसार जलवायु परिवर्तन से वातावरण में अचानक आने वाले परिवर्तनों से पूरे विश्व में अफरातफरी मच सकती है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखको **रेंडल व पीटर स्काट** के विचारों में इन बदलावों पर तत्काल प्रभाव से विचार करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा ना होने से विश्व के देशों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और युद्ध का खतरा निरंतर मंडराने लगेगा।[3]

रिपोर्ट में निम्नलिखित भयावह राजनीतिक परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है यथा

1. सागर तल के बढ़ते स्तर के कारण जिन लोगों के घर बर्बाद होंगे वे अमेरिका और यूरोप की वो रुख करेंगे ऐसी हालत में यूरोप और अमेरिका को किलेबंदी करनी पड़ सकती है।

---

[1] hindi.indiawaterportal.org (nov, 2016), 'जलवायु न्याय : पेरिस जलवायु सम्मेलन का महत्व.

[2] quizhat.co.in (14 अक्टूबर 2021), 'जलवायु न्याय के साथ शुद्ध शून्य उत्सर्जन'.

[3] पेंटागन रिपोर्ट, 31 जनवरी, 2010.

2. पेयजल और बिजली की कमी से संघर्षों और युद्धों का सिलसिला भी प्रारंभ हो सकता है।
3. लेखकों का मानना है कि ऐसा कभी भी किसी भी समय शुरू हो सकता है। इससे पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य मुददे भी समकालीन विश्व में विचारणीय विषय हो गए हैं जैसे मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता कम हो रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते चरागाहों के चारे समापन की ओर है, मत्स्य भंडार में कमी आ रही है, विश्व के विभिन्न जलाशयों की जल राशि में बड़ी तेजी से कमी हो रही है और खाद्य उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के विश्व विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार विश्व के विकासशील देशों के एक अरब 20 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं होता इसके साथ ही यहाँ की दो अरब 60 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित हैं। जिसके चलते 30 लाख से ज्यादा शिशुओं का हर साल देहांत हो जाता है। 2017-18 में इस संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। 2018 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पानी की किल्लत झेल रहे लोगों की संख्या 2050 तक 5.7 अरब तक पहुँच सकती है।[4] वनों की हर रोज़ हो रही कटाई से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। वायुमंडल में ओजोन परत में छेद हो जाने से पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ रही लोगों की सघन आबादी से समुद्री पर्यावरण हैं की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। अमेरिका के पर्यावरण के सुरक्षा एजेंसी का आकलन है कि 100 सालों में समुद्री जलस्तर छह से आठ इंच (15 से 20 सेंटीमीटर) बढ़ रहा है। अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड बे इलाके के वो ग्लेशियर यदि पिघल जाएंगे तो दुनिया के समुद्रों का जलस्तर 11 फिट तक उठ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्र के किनारे बसे धरती के सभी शहर डूब जाएंगे। ये ग्लेशियर कब तक पिघलेंगे? यह समय के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसका आकलन लगाने के लिए वैज्ञानिक 1000 साल पूर्व के अंतिम हिमयुग के अध्ययन में लगे हैं। अब तक के सबूत इंगित करते हैं कि उस समय में पाइन आइलैंड बेक के ग्लेशियर बहुत तेजी से टूटे थे और विश्व भर में तटीय इलाकों में बाढ़ आई थी। अंटार्कटिका के इस हिस्से केंद्र की ओर सामुद्रिक सतह गहरी होती जाती है इसके चलते जब भी कोई नया आइसबर्ग टूटता है तब टूटने की खाई बड़ी होती है। बर्फ़ के भार को सहना इन खाइयों के लिए असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है तो इसे रोका नहीं जा सकता। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया की गति का अनुमान लगाने की कोशिश में जुटे हैं।[5][6]

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (RPCC) द्वारा वैग्यानिकों की समिति द्वारा 2014 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन आज व्यापक रूप ले चुका है और इसके नतीजे दिखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम सचेत नहीं हुए तो प्रकृतिक हमें दूसरा मौका नहीं देने वाली है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का अनुमान है की वर्ष 2050 तक करीब 20 करोड़ों लोगों का पलायन इस वजह से होगा जबकि उस समय दुनिया की मौजूदा लगभग सात अरब की आबादी नौ अरब तक पहुँच जाएगी।[7]

जलवायु परिवर्तन भारतीय संदर्भ

[4] सयुंक्त राष्ट्र का विश्व विकास प्रतिवेदन, 2018.

[5] पॉल विनबेरी, उद्धत प्रभात खबर (पटना, 5 अप्रैल 2018), पृष्ठ.9.

[6] सयुंक्त राष्ट्र की इस संस्था को 2007 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2 अक्टूबर 2007, देखें http : // nobelprize. org/nobel prizes/ peace/ laureates/ 2007/ press. htm.

[7] गिरीश चंद्र पांडेय का आलेख 'ग्लोबल वार्मिंग और भारत' : प्रतियोगिता दर्पण (अक्टूबर 2014), पृष्ठ. 97

भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी, कृषि पर उच्च निर्भरता और बढ़ी आय असमानताओं के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कमजोर पड़ता है। भारत जलवायु परिवर्तन से पहले ही प्रभावित हुआ है और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव मजबूत होंगे। जलवायु परिवर्तन ने पहले से ही हमारे मानसून को प्रभावित किया है। 1951 से हर वर्ष भारी बारिश हुई है मध्यम बारिश को दौर कम हो रहा है। 2015 के आरंभ में देश भर में गैर मौसमी भारी बारिश और ओलों ने सर्दियों के फसल को नष्ट कर दिया है। मानसून की इस बदलती प्रकृति ने हमें बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अधिक असुरक्षित बना दिया और इससे भारी फसल नुकसान भी हुआ है भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग जलवायु को ऐसे तरीकों से बदल सकती है जिन्हें हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। बंगाल की खाड़ी में उसको कटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्तियों और तीव्रता बढ़ सकती है खासकर मानसून के बाद की अवधि में। कम से कम तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है लाखों लोगों को स्थांतरित कर सकते हैं मुंबई व अन्य तटीय शहरों में भारी नुकसान हो सकता है। कुछ राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है जबकि अन्य राज्यों में गम्भीर सूखे का अनुभव हो सकता है। ग्लैशियरों के मंदी से अंततः पानी की कमी और खाद्य उत्पादन में गंभीर गिरावट आएगी।[8]

नीतियां और चुनौतियां

जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण हेतु बनी नीतियों का प्रश्न है, हमारे संविधान निर्माता इसके प्रति प्रारंभ से ही चिंतित रहे हैं और इसके लिए संविधान में ही कई प्रावधान बनाए गए हैं। 42 वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम पारित करके संविधान में भाग चार में राज्य के नीतिनिर्देशक तथ्यों एवं मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) में पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। [9]

जलवायु परिवर्तन तथा भारत की वास्तविक समस्या का आकलन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया है। उनके विचार में भारत में किसी भी पर्यावरण संबंधी समस्या का निदान ग्राम वासियों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं है। उनके विचारों में गांव के लोगों को समुचित वैज्ञानिक जानकारी देकर ही मानसून वर्षा के कमी से उत्पन्न समस्याओं से निपटा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक पंचायत में दो युवकों तथा युवतियों को जलवायु प्रबंधक नियुक्त किया जाए जो गांव के लोगों को जलवायु तथा कृषि संबंधी जानकारी देंगे।

देश में बढ़ते पानी संकट के संबंध में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने विश्व जल दिवस पर देश को सचेत किया कि पानी संकट को लेकर अब उदासीन नहीं रहा जा सकता। उनके विचार में हमें तत्काल सामूहिक प्रयास शुरू करना होगा। तालाबों पोखरों व जल संचयन के अंदर संरचनाओं को पुनः जीवित व सुरक्षित करना होगा। खेती में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की तमाम इमारतों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था अनिवार्य बनानी होगी। एक एक बूंद पानी बचाने की हर व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा।[10]

प्रसिद्ध पर्यावरणविद **अनिल प्रकाश जोशी** ने इस संबंध में सर्वप्रथम जल स्तर पर एक राष्ट्रीय कानून बनाने की सिफारिश की है। उनके अनुसार ऐसे कई देश हैं जहाँ जल कानूनों ने जल दुरुपयोग पर बड़ा अंकुश लगाया है। इजरायल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जल कानून बनाकर उन पर अमल करते हैं। अपने देश का 65 से 70 फीसदी जल खेती में लगा

---

[8] आर, राजगोपालन, 'पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ',oakbridge प्रकाशन, हरियाणा, 2018, पृष्ठ. 492.

[9] Government of india, national actional plan on climate change, prime minister's council on climate change, new delhi(nd)

[10] अनिल प्रकाश जोशी, "केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है", पूर्वोक्त.

दिया जाता है इस संबंध में उनके अनुसार इजरायल जैसे देशों से खेती में जल का बेहतर उपयोग सीखने की आवश्यकता है।[11]

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए कार्य

यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP-26) के 26 वें सत्र में भारत ने दुनिया के समक्ष पांच अमृत तत्व (पंचामृत) पेश किए तथा जलवायु कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया। भारत की मौजूदा एन डी सी का यह आदतन स्वरूप COP- 26 में घोषित पंचामृत को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित कर देता है। यह आदतन स्वरूप भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।[12]

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने COP-26 में विश्व समुदाय के समक्ष एक शब्द वाले आंदोलन का प्रस्ताव रखा। वो एक शब्द है लाइफ। LIFE यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो हमारे धरती के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुँचाए।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को अब तक बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों से वित्त पोषित किया गया है। हालांकि नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं व जिम्मेदारियों में से एक है। भारत को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों और तकनीकी सहायता से अपने उचित हिस्से की भी आवश्यकता होगी।

जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन और प्रभावों को कम करने के लिए 2007 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद स्थापित की गई थी लेकिन परिषद की बहुत कम बैठकें हुई थीं और प्रभावी नहीं थी। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल थे। जब नई सरकार 2014 में सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री की परिषद का पुनर्गठन किया गया और चार और राष्ट्रीय मिशन जोड़े गए।

जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उच्च आर्थिक विकास दरों को बनाए रखने की अतिव्यापी प्राथमिकता पर बल देते हुए योजना ने यह भी वचन दिया कि भारत के प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकसित देशों के मुकाबले किसी भी बिंदु से अधिक नहीं होगा जैसा कि हम अपने विकास के उद्देश्यों को लक्षित करते हैं।

राष्ट्रीय मिशन

1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्यों से सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है।
2. **बाधित एनर्जी दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का निर्माण नई पहल को लागू किया जाना था।
3. **सशक्त आवास पर राष्ट्रीय मिशन** यह योजना शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है।

---

11 See united nations world water development report- wwdr, 20 march 2015.

12 piv.gov.in, 03 aug 2022.

4. **राष्ट्रीय जल मिशन** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पानी की कमी के अनुमान के साथ यह योजना मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार का सुझाव देती है।
5. **हिमालय परिस्थिति की तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन** योजना का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता, वन आवरण और अन्य परिस्थिति की मूल्यों को संरक्षित करना है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप ग्लेशियर्स भारत के जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं।
6. **ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन** लक्ष्य में निम्न वन भूमि के वनीकरण और वन कवर का विस्तार शामिल है।
7. **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन** योजना का उद्देश्य जलवायु-लचीला फसलों के विकास मौसम बीमा तंत्र के विस्तार और कृषि प्रथाओं के विकास के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूल का समर्थन करना है।
8. **जलवायु परिवर्तन के लिए सामाजिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** जलवायु विज्ञान, प्रभावों और चुनौतियों का बेहतर समझ हासिल करने के लिए योजना एक नया जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष, बेहतर जलवायु मॉडलिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि को शामिल करता है। 2015 की शुरुआत में नई सरकार ने चार और मिशन जोड़े।

    i. **पवन ऊर्जा मिशन** 2022 तक 50,000 से 60,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करना।

    ii. **मानव स्वास्थ्य मिशन** मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन करने और इसके जवाब देने के लिए समझे क्षमताएं तैयार करना।

    iii. **तटीय संसाधन मिशन** संपूर्ण तट रेखा के साथ एकीकृत तटीय संसाधन प्रबंधन योजना और नक्शा कमजोरियों को तैयार करना।

    iv. **कचरा टू एनर्जी मिशन** कोयले, तेल, गैस पर कम निर्भरता और ऊर्जा उत्पादन को और अधिक प्रभावी तथा पृथ्वी अनुकूल प्रक्रिया बनाने के प्रयास ओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करना।[13]

निष्कर्ष

धरती की जलवायु सभी जीवों के लिए समान है इसलिए इस के संकट से निपटना भी हमारी साझा जवाबदेही है। साझा जवाबदेही की भावना जब तक नहीं आ सकती है तब तक इस बात पर सहमति ना हो कि जलवायु न्याय के सिद्धांत क्या होंगे और हर देश का व्यक्तिगत कर्तव्य क्या होगा? इसके अभाव में हमें छोटे मोटे सुधार ही देखने को मिल सकते है। कार्बन बचाने वाली तकनीक में बढ़ते वाणिज्य हित भी मददगार हो सकते हैं लेकिन इससे संकट को थामने में अधिक मदद नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें जलवायु न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों में साझा जवाबदेही को स्थान देना होगा। भारत को तृतीय विश्व के देशों का नेतृत्व करते हुए इस समूह में शामिल देशों की विकासात्मक गतिविधियों की आवश्यकता को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखना होगा साथ ही जलवायु संकट से निपटने हेतु विकसित देशों से वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए दबाव बनाना होगा तभी आर्थिक विकास को बिना रोके सतत विकास की नींव को रखा जा सकता। है।[14]

---

13 www. moef.nic.in

14 quizhat.co.in (14 अक्टूबर 2021), ' जलवायु न्याय के साथ शुद्ध शून्य उत्सर्जन'